रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241214 CG-DL-E-19122022-241214

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5681] No. 5681] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/ अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ 5917(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि श्रीकाकुलम-अंगुल पाईपलाइन परियोजना के अन्तर्गत खनिज उत्पाद के परिवहन हेतु अंगुल से श्रीकाकुलम तक गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिशा राज्य में पाईपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाईपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, 21 दिन के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाये जाने की सबंध मे, सक्षम प्राधिकारी, ओडिशा, गेल (इण्डिया) लिमिटेड 612 उत्क्ल सिग्नेचर, पाहाल, एन हच-16 भुबनेस्वर-751032 को लिखित रूप मे आक्षेप भेज सकेगा।

8449 GI/2022 (1)

## अनुसूची

		প্নি	काकुलम –अनगुल	गैस पाईप	लाईन				
	भूमि अनुसुचि								
	जिला-	गंजाम		राज्य : ओडिशा					
जिला	तहसील	गाँव का नाम-थाना	~ .	संः	शोधित	क्षेत्र	अधि	धेसूचित	क्षेत्र
का नाम	का नाम	नं.	सर्वे नं.	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गंजाम	बूगूडा	रामन्डा-108	4324	00	02	34	00	00	41
गंजाम	बूगूडा	खोलखालि-106	5649	00	14	23	00	13	33
			5649/16252	00	14	23	00	13	33
			2245	00	07	43	00	07	69
			2245/16253	00	07	43	00	07	09
			2246	00	03	15	00	01	28
			2247	00	00	53			
			2134	00	01	39			
			2133	00	06	27			
			2136	00	04	84			
			2132	00	02	34			
			2129	00	03	91			
			2130	00	02	96			
			2128	00	01	36			
			2126	00	03	92			
			2127	00	04	93			
			2125	00	00	96			
			2123	00	03	92			
			2122	00	04	70	00	00	20

	जिला-गंजा	म		राज्य : ओडिशा						
जिला का	तहसील का	गाँव का नाम-		संशोधित क्षेत्र			अधि	सूचित	क्षेत्र	
नाम	नाम	थाना नं.	सर्वे नं.	हेक्टेअ र	आरे.	वर्गमीटर	हेक्टेअर	आरे.	वर्गमी टर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
गंजाम	आसिका	घटकुरी-135	498	00.	03	46	00	03	25	
			500	00	00	04				
			503	00	00	16				
			504	00	00	20				
			505	00	00	54		_		
			277	00	05	30	00	00	71	

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

275	00	11	88	00	00	19
359	00	00	79	00	00	75

		राज्य : ओडिशा							
जिला का	तहसील	गाँव का नाम-	सर्वे नं. संशोधितक्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र		अधिसूचित क्षे				
नाम	का नाम	थाना नं.		हेक्टेअ	आरे	वर्गमीट	हेक्टेअ	आरे	वर्गमीटर
				र		र	र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कटक	बान्की	ब्र्म्हपुरा-55	1686	00	04	38	00	00	88
			1688/3	00	04	38			
			591						

[फा. सं. एल-14014/237/2022-जीपी-II(ई-45232]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

**S.O. 5917(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest under the Srikakulam-Angul Pipeline Project. for the transportation of Petroleum Product from Angul to Srikakulam in the state of Odisha a pipeline should be laid by Gail (India) Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section(1) of the Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to competent Authority,(Odisha) Gail (India) Limited, 612 Utkal Signature, Pahal, NH-16 Bhubaneswar-751032.

### **SCHEDULE**

	SRIKAKULAM - ANGUL GAS PIPE LINE												
	LAND SCHEDULE												
	District-Ganjam State: Odisha												
Name of	Name of	Name of	Campany No	RE	VISED A	REA	NOT	IFIED A	AREA				
District	Tehsil	Village-Thana No.	Survey No.	Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.				
1	2	3	4	5	6	7							
Ganjam	Buguda	Ramanda-108	4324	00	02	34	00	00	41				
Ganjam	Buguda	Kholakhali-106	5649	00	14	23	00	13	33				
			5649/16252	00	14	23	00	13	33				
			2245	00	07	43	00	07	69				
			2245/16253	00	07	43	00	07	09				

2246	00	03	15	00	01	28
2247	00	00	53			
2134	00	01	39			
2133	00	06	27			
2136	00	04	84			
2132	00	02	34			
2129	00	03	91			
2130	00	02	96			
2128	00	01	36			
2126	00	03	92			
2127	00	04	93			
2125	00	00	96			
2123	00	03	92			
2122	00	04	70	00	00	20

	District-Ga	njam	State: Odisha							
Name of	Name of Name of		G N	RE	VISED A	REA	NOT	IFIED .	FIED AREA	
District	Tehsil	Village-Thana No.	Survey No.	Hector	ector Are. Sq.n	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ganjam	Asika	Ghatakuri-135	498	00.	03	46	00	03	25	
			500	00	00	04				
			503	00	00	16				
			504	00	00	20				
			505	00	00	54				
			277	00	05	30	00	00	71	
			275	00	11	88	00	00	19	
			359	00	00	79	00	00	75	

District :Cuttack					Stat	e: Odisha			
Name	Name	Name of Village-	CNo	RE	VISED A	REA	NOT	IFIED A	AREA
of District	of Tehsil	Thana No.	Survey No.	Hector	Are.	Sq.mtr.	Hector	Are.	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cuttack	Banky	Brahmapura-55	1686	00	04	38	00	00	88
			1688/3591	00	04	38			

[F. No. L-14014/237/2022-GP - II (E-45232]

RAKESH MISHRA, Under Secy.